प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 11 अप्रैल, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु आय-व्ययक में कुल प्रावधानित **रू0 1,11,56,000/- (रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख छप्पन हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं तदनुसार निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखा शीर्षक/मद	**प्रावधानित धनराशि (हजार रूपयों में)**	**स्वीकृत धनराशि (हजार रूपयों में)**
अनुदान संख्या-28 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर- 092-अन्य कार्यालय-03-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय		
01-वेतन	4120	4120
03-मंहगाई भत्ता	5603	5603
04-यात्रा व्यय	115	115
06-अन्य भत्ते	500	500
07-मानदेय	200	200
08- कार्यालय व्यय	70	70
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20	20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25	25
13-टेलीफोन पर व्यय	40	40
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	80	80
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	10	10
18-प्रकाशन	10	10
19-विज्ञापन, विक्री और विख्यापन व्यय	1	1
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	40	40
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1	1
42-अन्य व्यय	10	10
45-अवकाश यात्रा व्यय	20	20
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर /सॉफ्टवेयर का क्रय	1	1
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30	30
49-चिकित्सा व्यय	250	250
51-वर्दी	10	10
योग	**11156**	**11156**
		(रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख छप्पन हजार मात्र)

क्रमश: 2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कडाई से किया जाय। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

3- वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखा शीर्षक "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-03-उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22-03-2016 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

<u>संख्या:13/2016/625(1)/जेड/6-सा-1-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-वरिष्ठ आडिट ऑफीसर (आडिट/प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
9- अधीक्षक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ।
10-इन्चार्ज, एन0आई0सी0 नेट सेल, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
11-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in